

न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण क्रम-1 कोटा

सूचना पत्र

दिनांक 15.04.2020

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 तथा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक EA/80 दिनांक 14.04.2020 की पालना में सभी अधिवक्तागण एवं पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 02.05.2020 के नियमित पत्रावलियों में आगामी पेशी निम्नानुसार नियत की जाती है :-

| क्रम संख्या | पूर्व से नियत तारीख पेशी | आगामी नियत तारीख पेशी |
|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 1           | 15-04-2020               | 17-06-2020            |
| 2           | 16-04-2020               | 18-06-2020            |
| 3           | 17-04-2020               | 19-06-2020            |
| 4           | 18-04-2020               | 20-06-2020            |
| 5           | 20-04-2020               | 22-06-2020            |
| 6           | 21-04-2020               | 23-06-2020            |
| 7           | 22-04-2020               | 24-06-2020            |
| 8           | 23-04-2020               | 25-06-2020            |
| 9           | 24-04-2020               | 26-06-2020            |
| 10          | 27-04-2020               | 29-06-2020            |
| 11          | 28-04-2020               | 30-06-2020            |
| 12          | 29-04-2020               | 01-07-2020            |
| 13          | 30-04-2020               | 02-07-2020            |
| 14          | 01-05-2020               | 03-07-2020            |
| 15          | 02-05-2020               | 04-07-2020            |

नोट :

01. ऐसे अभियुक्तगण जो उक्त अवधि के मध्य इस न्यायालय में जेसी में चल रहे हैं, उनकी जेसी वारण्ट की अवधि माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा के आदेश क्रमांक EA/79 दि. 14. 04.2020 की पालना में आदेशित स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा बढ़ाई जावेगी।
02. उक्त तारीख पेशियां सीआईएस में अपलोड करने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित किया जाता है।
03. सभी पक्षकारान् एवं अधिवक्तागण प्रतिदिन सीआईएस में पेशियां नोट करे एवं उन्हें न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्तगण एवं गवाहान की हाजिरी माफी की आवश्यकता नहीं रहेगी।

आज्ञा से,  
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट  
एन. आई. एक्ट प्रकरण  
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट  
एनआई एक्ट प्रकरण क्रम-1 कोटा

न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण क्रम-1 कोटा

दिनांक 15.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा
02. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन कोटा
03. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय कोटा
04. नोटिस बोर्ड/कार्यालय प्रति

आज्ञा से,  
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट  
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट  
एन. आई. एक्ट प्रकरण  
एनआई एक्ट प्रकरण क्रम-1 कोटा